रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1998 (ज्येष्ठ 2, 1920)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1998 (JYAISTHA 2, 1920)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	375
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	439
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	745
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना	489
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	673
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1599
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	103
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*प्राप्त नहीं हुए

1 71 GI/98

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	439
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	745
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	489
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	673
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1599
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	103
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1998

संकल्प

सं. 1(11)97-खान 6—भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो ग्रेनाइट विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में कार्य करेगी । इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव
खनन और भूविज्ञान विभाग,
आंध्र प्रदेश

सदस्य

2. सचिव, खनन और भूविज्ञान,
कर्नाटक सरकार

3. सचिव, खनन और भूविज्ञान,
उड़ीसा सरकार

4. सचिव, खनन और भूविज्ञान,
राजस्थान सरकार

5. सचिव, खनन और भूविज्ञान,
तमिलनाडु सरकार

6. महासचिव, एफ.आई.एम.आई

7. अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्रेनाइट एवं
पत्थर एसोसिएशन

8. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

9. सी.बी.डी.टी. से संयुक्त सचिव स्तर
का प्रतिनिधि

10. सी.बी.ई.सी. से संयुक्त सचिव स्तर
का प्रतिनिधि

11. संयुक्त सचिव (एम.पी.),
खान मंत्रालय

सदस्य-सचिव

12. निदेशक (एन),
खान मंत्रालय

विशेषज्ञ समिति के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

1. ग्रेनाइट के विभिन्न ग्रेडों पर रायल्टी की दरों की जांच करना तथा देश में ग्रेनाइट उद्योग के समुचे विकास के लिए वृहद स्तर पर एकरूपता सुझाना ।

2. विभिन्न राज्यों में ग्रेनाइट पर डैड रेन्ट की दरों की जांच करना तथा ग्रेनाइट उद्योग के विकास के लिए वृहद स्तर पर एकरूपता सुझाना ।

3. ग्रेनाइट पर कराधान व्यवस्था की जांच करना तथा ग्रेनाइट के विकास तथा निर्यात के विकास के लिए उपाय सुझाना ।

इस विशेषज्ञ समिति का कार्य-काल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष होगा ।

रूप नारायण
अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 27th April 1998

RESOLUTION

No. 1 (11) 97-M-VI.—Government of India have decided to constitute an Expert Committee which will work under the overall guidance and supervision of the Granite Development Council with the following composition :

Chairman

1. Principal Secretary,
Mining & Geology Deptt.
Andhra Pradesh.

Members

2. Secretary,
Mining & Geology,
Govt. of Karnataka.

3. Secretary,
Mining & Geology,
Govt. of Orissa.

4. Secretary,
Mining & Geology,
Govt. of Rajasthan.

5. Secretary,
Mining & Geology,
Govt. of Tamil Nadu.

6. Secretary General,
FIMI.

7. President,
All India Granite & Stone Association.

8. Joint Secretary,
M/O Commerce.

9. Joint Secretary,
Level representative from CBDT.

10. Joint Secretary,
Level representative from CBEC.

11. Joint Secretary (SP),
Ministry of Mines.

Member Secretary

12. Director (N),
Ministry of Mines.

Terms of Reference of the Expert Committee will be as under :—

1. To Examine rates of Royalty on different grades of granite and to suggest some broad uniformity for overall development of the granite industry in the country.

2. To Examine rates of Dead Rent on Granite in different States and to suggest some broad uniformity for the development of granite industry.

3. To Examine the taxation regime on granite and to suggest measures for development and exports of granite.

The tenure of the Expert Committee will be for a period of two years from the date of issuance of this Resolution.

ROOP NARAYAN
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1998